निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 64/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बनवारी पुत्र स्व. श्री मेवाराम जाति जाट, निवासी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सुनीता मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।
2. नानूराम पुत्र काना जाति जाट निवासी नावद की ढाणी, पचार रोड, किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।

अप्रर्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 81/2021 ब उनवानी नानूराम बनाम मंगलचन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री मदन लाल कुडी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री कालूराम नायक अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16.06.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष प्रकरण संख्या 81/2021 ब उनवानी नानूराम बनाम मंगलचन्द व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कालूराम नायक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक पहुँच वाला व्यक्ति है जिसकी राजनैतिक पहुँच के चलते वह ग्राम के लोगों से यह कहता रहता है कि मेरी अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत हो गई है और मै आगामी पेशी दिनांक तक उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री बिना अन्य पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये ही पारित करवा कर मेरे मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करके रहूंगा । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की कार्य शैली पर कोई शंका नही है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 के कहे कथनों से स्पष्ट है कि वह अपनी राजनैतिक पहूँच व धनबल के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर अपने पक्ष में प्राथमिक डिक्री व कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाने पर आमादा है। इसलिए प्रकरण का अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर